संख्या-43/2022/आई/139429/41-1099/331/2019-01(वि0आ0)/2018

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 09 फरवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में 05-वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिष्ट कान्क्लेव-42-अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5712/15-1-838(25)/ट्रै0ट्रे0/2021-22, दिनांक 16.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव का आयोजन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति किये जाने हेतु अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रू0 4500.00 लाख की अवशेष राशि में से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05- वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिष्ट कान्क्लेव-42-अन्य व्यय मद में रू0 115.00 लाख (रू0 एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 आय-व्ययक के अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में हो रही बचत से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05- वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिष्ट कान्क्लेव-42-अन्य व्यय हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियम तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-आर.ई-7-358/दस-2022, दिनांक 08 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रण, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने के पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम -44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष)15 डिजीट कोड में(राजस्व मद	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान विनियोग/	आवेदन पत्र देने की दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग/)2-5(	लेखाशीर्ष)15 डिजीट कोड में(राजस्व मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान विनियोग/	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि)9-8(	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग/)8+11(
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदानगैर) सामान्य-(वेतन	4500.00	3150.00	115.00	50.00	4450.00	लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-05-वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिष्ट कान्क्लेव-42-अन्य व्यय	115.00	230.00	115.00	50.00	165.00
योग	4500.00	3150.00	115.00	50.00	4450.00	योग-	115.00	230.00	115.00	50.00	165.00

नोट- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण-

1- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद रू0 45.00 करोड़ का मूल प्राविधान है। अत: वर्तमान में उपलब्ध बचत रू0 31.50 करोड़ से उक्त तालिकानुसार सन्दर्भित मद में कुल रू0 115.00 लाख के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट/परिसीमाओं का उलंघन नहीं होता है।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-आर. ई-7-358/दस-2022, दिनांक 08 फरवरी, 2022
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)
उप सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
6. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।